माता सावित्री फाउंडेशन ट्रस्ट, गोरखपुर

पंजी सं0- 91/4 वर्ष 2022

कार्यालय - रानी डीहा चौराहा पोस्ट खोराबार तहसील सदर गोरखपुर

शाखा कार्यालय जनपद - गोण्डा

कंचन रानी राव
उपाध्यक्ष

सविता वर्मा
अध्यक्ष

ज्ञाना बौद्ध
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

मीना बौद्ध
सदस्य

सुश्लेष वर्मा
सदस्य

सीमा वर्मा
कोषाध्यक्ष

प्रीति वर्मा
सचिव

सेवा में,

आनंदी बेन पटेल
महामहिम राज्यपाल महोदया,
उत्तर प्रदेश सरकार।

पत्रांक–एम एस एफ 1/2024–25 दिनांक– 02/04/2025

विषय–उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को 100% उत्तीर्ण करने के संबंध में।

महोदया,

अत्यंत कष्ट के साथ उद्धृत करना है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के बाद किसी को फेल न किए जाने का आदेश किया हुआ है। सभी राजकीय विद्यालयों मे बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह लिखित निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 8 तक किसी भी बालक–बालिका को अनुत्तीर्ण न किया जाय सभी को उत्तीर्ण कर दिया जाय।

इस आदेश के चलते सरकारी विद्यालयों में न तो बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता रह गई है और न ही शिक्षकों को पढ़ा ने की। इस व्यवस्था से अल्पशिक्षित या अशिक्षित अभिभावक भी संतुष्ट हैं कि हमारा बच्चा पास होता चला जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि इस व्यवस्था से हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जिन बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं आता वह भी इस नियम से कक्षा 8 पास हो जा रहे हैं। इस नियम से समाज की प्रतिभाएं भी विलुप्त हो जा रही हैं। जब सभी को पास ही कर देना है तो क्या पढ़ना और क्या पढ़ा ना? यह व्यवस्था हमारी सभ्य व्यवस्था के ऊपर एक कलंक की भांति है जिसके चलते हम सभी को निरक्षर बनाए दे रहे हैं।

महोदया यह व्यवस्था राइट टू एजुकेशन के तहत चालू की गई है। राइट टू एजुकेशन कहता है कि सभी को शिक्षा मिले, इस नियम के तहत सभी को हमने प्रमाण–पत्र दे दिया कि सभी शिक्षित हो गए। इस व्यवस्था ने राइट ऑफ एजुकेशन की कमर तोड़ कर रख दी है। यह व्यवस्था हमारे समाज मे प्राचीन वर्ण व्यवस्था की भांति है जिसमें शूद्रों अर्थात् एससी, एसटी, ओबीसी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था और अब अधिकार को निष्प्रभावी बना दिया गया है इस नियम को लाकर। यह स्पष्ट है कि इस नियम से देश का वह कमजोर हिस्सा प्रभावित हो रहा है जो सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया इसका सम्यक स्तर से परीक्षण करवा कर इस आदेश को निरस्त करने की कृपा करें।

सादर

सविता वर्मा

सविता वर्मा
अध्यक्ष
माता सावित्री फाउंडेशन
गोंडा

सम्पर्क सूत्र- 9838891095
ईमेल - savitaverma9173@gmail.com